

महालेखाकार (लेखापरीक्षा-प्रथम) का कार्यालय, मध्य प्रदेश
ऑडिट भवन, झाँसी रोड, ग्वालियर
Office of the Accountant General (Audit-I) Madhya Pradesh
Audit Bhavan, Jhansi Road, Gwalior

No. Admin. 11/G-2/Sensitive Posts/O.O. 31

Dated 12.05.2026

Office Order/कार्यालय आदेश-31

मुख्यालय के पत्र दिनांक 30.03.2026 के संदर्भ में पूर्व में जारी एस.एम.यू. के पत्र संख्या एस.एम.यू./एफ-1/ओ.ओ. संख्या 60 दिनांक 05.08.2025 को अधिक्रमित करते हुए इस कार्यालय के निम्नलिखित पदों/अनुभागों को संवेदनशील चिह्नित किया गया है:

With reference to HQs letter dated 30.03.2026 and in suppression of SMU letter No. SMU/F-1/O.O. No. 60 dated 05.08.2025 the following posts/sections of this office have been identified as sensitive:

Sl. No.	Name of the Group	Post/Section	Post
1.	AG Group	Secretary to HoD	Sr. AO
		Internal Test Audit	AAO, Sr. AO
		APSMU	AAO, Sr. AO
2.	Admin Group	General Section	AAO, Sr. AO
		Executive Branch	AAO, Sr. AO
		IS Wing	AAO, Sr. AO
		Estate Management Cell	AAO, Sr. AO
		Admin. 11	AAO, Sr. AO
		Admin. 12	AAO, Sr. AO
		Legal Cell	AAO, Sr. AO
		Confidential Cell	AAO, Sr. AO
3.	Audit Management Groups	Admin. 13	AAO, Sr. AO
		Admin. 14	AAO, Sr. AO
		SMU and Co-ordination	AAO, Sr. AO
		Vetting and Report	AAO, Sr. AO
		Quality Control Cell (AMG-IV)	AAO, Sr. AO

इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त पदों पर अधिकारियों की नियुक्ति करते समय मुख्यालय के पत्र दिनांक 30.03.2026 में दिए गए निम्नलिखित नियुक्ति सिद्धांतों का पालन किया जाएगा:

Further, the following posting principals as provided in HQs letter dated 30.03.2026 shall be observed in posting of officers on above posts:

1. नए भर्ती किए गए/पदोन्नत कर्मचारियों की पहली पोस्टिंग आदर्श रूप से किसी गैर-संवेदनशील पद पर होनी चाहिए।

First postings for new recruits/promoted employees should ideally be to a non-sensitive post.

2. एक ही कर्मचारी के लिए एक संवेदनशील पदस्थापन एवं दूसरे संवेदनशील पदस्थापन के मध्य कम से कम तीन वर्ष का अंतराल होना चाहिए।

There should be a minimum gap of three years between one sensitive posting and another for the same employee.

3. किसी कर्मचारी को बाद के कार्यकाल में उसी संवेदनशील पद पर तैनात नहीं किया जाना चाहिए।

An employee should not be posted in the same sensitive post in a subsequent cycle.

4. सतर्कता के दृष्टिकोण से स्पष्ट न होने वाले अधिकारी को किसी गैर-संवेदनशील पद पर स्थानांतरित किया जा सकता है।

An official who is not clear from vigilance angle may be transferred to a non-sensitive post.

(महालेखाकार महोदय के अनुमोदन उपरांत जारी)

— हस्ता—

उप महालेखाकार (प्रशासन)

पृष्ठांकन- OE-11/Gr-2/Sensitive posts/ 3 |

दिनांक- 12.05.2026

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. सचिव, महालेखाकार (लेखापरीक्षा- प्रथम) का कार्यालय, मध्य प्रदेश, ऑडिट भवन, ग्वालियर।
2. उप महालेखाकार/प्रशासन, महालेखाकार (लेखा एवं हक) का कार्यालय, म.प्र., ग्वालियर को आपदा प्रबंधन हेतु।
3. उप महालेखाकार/प्रशासन, AMG-I, AMG-II, AMG-III, AMG-IV & AMG-V
4. वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी SMU & Co-ordination तथा Vetting and Report/ ए.एम.जी.- 1,2,3,4 & 5
5. वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी, QCC (AMG-IV)
6. वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी / आई.टी.ए., रिपोर्ट, रिपोर्ट पी.ए.सी., कोआर्डिनेशन सेल, ए.पी.एस. एम.यू., डी.ए.डी.एस.एस., ऑडिट इम्पैक्ट सेल।
7. वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी / प्रशासन- 12, 13, 14, सामान्य अनुभाग, कार्यपालन शाखा, विधि कक्ष (प्रशिक्षण), हिंदी कक्ष, संपदा प्रबंधन, कल्याण शाखा, गोपनीय कक्ष, फास-एम।
8. वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी /आई.एस.विंग को इन्ट्रानेट पर एवं वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
9. श्री यश वर्धन गुप्ता, स.ले.प.अ. (02/11331) को इन्ट्रानेट एवं इन्टरनेट पर अपलोड सुनिश्चित करने हेतु।
10. श्री सहजानन्द, महामंत्री, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी एसोसिएशन, ग्वालियर।
11. श्री रवि कुमार भगत, महामंत्री, एस.ए.एस.ऑडिट वेलफेयर एसोसिएशन, ग्वालियर।
12. श्री विवेक कुमार मिश्रा, महामंत्री, ऑडिट वेलफेयर एसोसिएशन, ग्वालियर।
13. सूचना पटल।
14. गार्ड फाइल हेतु (03 प्रतियां)।

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/
प्रशासन-11